वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एसएमई की क्षमताएं बढ़ाना*

के.सी.चक्रवर्ती

श्री गोविंद शंकरनारायणन, सदस्य, बैंकिंग,फाइनान्स एंड इकोनोमिक्स कमिटी ऑफ बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सीएफओ तथा सीईओ (कार्पोरेट कार्य), टाटा कैपिटल लिमि.; श्री आर.बालाजी, प्रमुख, स्ट्रेटेजी एंड मार्केटिंग, महिंद्रा फाइनान्स; श्री प्राले मंडल, वरिष्ठ समूह अध्यक्ष, यस बैंक; मुंबई चेंबर्स के सदस्य, यहां एकत्रित अतिथिगण, देवियो और सज्जनों। बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा 'वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एसएमई की क्षमताएं बढ़ाना' विषय पर आयोजित इस चर्चात्मक सत्र में उपस्थित रहना और अपने विचार आपके सामने रखना मेरे लिए वस्तुत: अत्यंत प्रसन्नता की बात है। जैसा कि मुझे बतलाया गया है, 1836 में स्थापित बॉम्बे चेंबर्स भारत का सबसे पुराना चेंबर है जो 176 वर्षों से अपने सदस्यों को अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। इसकी सदस्य कंपनियों की संख्या 4500 से भी अधिक है जिनमें से एक बहुत बड़ा भाग छोटे कार्पोरेटों का है। यह मुंबई की अनेक ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा है और मैं इस चेंबर को प्राप्त सफलताओं के लिए इसे बधाई देता हूं। इस चेंबर के सदस्यों को संबोधित करने के लिए मुझे आमंत्रित करना मेरे लिए बहुत ही अभिमान की बात है और मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं चेंबर को धन्यवाद देता हूं।

2. राजनैतिक और आर्थिक समन्वय और प्रौद्योगिकीय सफलताओं की पृष्ठभूमि में, वर्तमान आर्थिक स्थिति में छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) का वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनना आवश्यक हो गया है। वैश्विकरण का एक परिणाम यह हुआ है कि दूरी की लागत नाटकीय रूप से घट गई है। अब अधिक बाजारों में कारोबार किया जा सकता है और लेनदेन अधिक तेजी से तथा कम लागत पर किए जा सकते हैं। इसी प्रकार, उपभोक्ताओं के पास भी अब इस बात की अधिक जानकारी है कि सर्वोत्तम उत्पाद और सेवा को सर्वोत्तम मूल्य पर कहां से प्राप्त करना है। इसके परिणामस्वरूप, छोटे और स्थानीय रूप से उन्मुख कारोबारों को भी स्वयं को वैश्विक संदर्भ में देखना होगा। वैश्विकरण के परिणामस्वरूप एसएमई को अब अधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में लेनदेन करना है। एसएमई को अब सिर्फ स्थानीय कंपनियों से नहीं अपितु विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धकों - बहु राष्ट्रीय कंपनियों या अन्य एसएमई - के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है। प्रतिस्पर्धा के कारण तेजी से बदलते वातावरण में एसएमई को लागत घटानी पड़ती है, बड़ी कंपनियों जैसे ही नवोन्मेष करने होते हैं और ज्ञान का प्रबंध करना होता है और वह भी ऐसे कार्यों के लिए निवेश के लिए अतिरिक्त संसाधनों के बिना ही करना होता है।

3. बॉम्बे चेंबर्स द्वारा इस सत्र का आयोजन करना प्रशंसनीय है क्योंकि राष्ट्र के विकास में एसएमई की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। एक गतिशील सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के विकास को विकसीत और उभरती - दोनों अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास के लक्ष्यों के बीच प्राथमिकता दी जाती है। एमएसएमई रोजगार निर्माण और जीडीपी की वृद्धि के प्रारंभिक प्रेरक हैं। वे आर्थिक विविधीकरण, निर्यात और सामाजिक स्थिरता में बहुमूल्य योगदान करते हैं। एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस क्षेत्र में लगभग 26.1 मिलियन उद्यम हैं। इस क्षेत्र का विनिर्मित उत्पादन में 45 प्रतिशत और जीडीपी में 8 प्रतिशत हिस्सा है। एमएसएमई का देश के संपूर्ण निर्यात में लगभग 40 प्रतिशत योगदान है और इसमें लगभग 59.7 मिलियन लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है जो कि कृषि के बाद की सर्वाधिक संख्या है। यह बात भी इतनी ही महत्त्वपूर्ण है कि कल के बृहद कार्पोरेटों का यह पोषक मंच है क्योंकि भविष्य में इन्हीं छोटी कंपनियों में से बहु राष्ट्रीय कंपनियां और बृहद कार्पोरेट उभरेंगे। आज बृहद कार्पोरेटों के ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं जिन्होंने कुछ समय पहले अपनी शुरुआत छोटे कारोबारी उद्यमों के रूप में की थी।

4. मेरा पक्का विश्वास है कि अर्थव्यवस्था में अगली संवृद्धि का स्तर एमएसएमई से ही प्राप्त होगा। यही वह क्षेत्र है जो कि भारत की लगभग 5.5 प्रतिशत की वर्तमान वृद्धि दर को मध्यम से दीर्घ अवधि में 9 प्रतिशत, जो कि भारत की वांछित दर मानी जाती है, से अधिक की दीर्घकालिक दर पर ले जा सकता है। वस्तुत: सक्रिय और सुदृढ़

* बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा 8 अक्तूबर 2012 को मुंबई में आयोजित चर्चात्मक सत्र में डॉ.के.सी.चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया भाषण। इस भाषण को तैयार करने में श्रीमती एल.वडेरा द्वारा से प्राप्त सहायता के लिए आभार।

एमएसएमई क्षेत्र के बिना सुदृढ़ भारतीय अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किंतु यह तभी संभव होगा जब एसएमई वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाए और इसीलिए आज की चर्चा का विषय बहुत महत्त्वपूर्ण है।

अ. वित्त तक पहुंच

5. एमएसएमई अपने परिचालनों के लिए प्राथमिक रूप से बैंक वित्त पर निर्भर करते हैं। छोटे कार्पोरेटों के लिए, समय पर और पर्याप्त वित्त मिलना प्राथमिकता है बशर्ते प्रभार्य दरें शोषक न हों। अनेक वर्षों से बैंकों द्वारा इस क्षेत्र को दिए जा रहे ऋण में काफी वृद्धि हुई है। मार्च 2012 के अंत की स्थिति के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र की ओर कुल बकाया ऋण ₹5286.17 बिलियन था जो कि मार्च 2011 के अंत में ₹4785.27 बिलियन और मार्च 2010 के अंत में ₹3622.91 बिलियन था। इस क्षेत्र की ओर बकाया ऋण में वृद्धि होने के बावजूद एमएसएमई उधारकर्ता महसूस करते हैं कि ऋणदाता एमएसएमई को पर्याप्त ऋण नहीं देते बल्कि वे बृहद कार्पोरेटों की आवश्यकताएं पूरी करने पर अधिक ध्यान देते हैं।

आ. एमएसएमई को उधार देने में बैंकों के सामने आने वाली समस्याएं

6. वाणिज्य बैंक अनेक कारणों से एमएसएमई को ऋण देने के लिए अनिच्छुक रहते हैं, हालांकि यह बात अनेक बार तथ्यों पर आधारित नहीं होती। एमएसएमई की अपर्याप्त आस्तियों और पूंजीकरण, बाजार के उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशीलता और समापन की उच्च दर के कारण ऋणदाता उन्हें उच्च जोखिम वाले उधारकर्ता मानते हैं। एसएमई के लेखांकन रेकार्ड की कमी, अपर्याप्त वित्तीय विवरणों या कारोबार योजनाओं से उभरने वाली सूचना-भिन्नता के कारण भी ऋणदाता के लिए संभाव्य एसएमई प्रस्तावों संबंधी ऋण चुकौती क्षमता को आंकना कठिन हो जाता है। इसके अलावा, छोटी राशियां उधार देने संबंधी उच्च प्रशासनिक/लेनदेन लागत के कारण भी एसएमई को ऋण देना लाभदायक कारोबार नहीं होता।

एसएमई को ऋण देने के लिए वाणिज्य बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार और रिज़र्व बैंक की भूमिका महत्त्वपूर्ण है कि वे एसएमई क्षेत्र की ओर पर्याप्त निधि प्रवाहित करने के लिए नीतिगत संरचना बनाए। साथ ही, एसएमई को भी बैंकर के सामने अपना कारोबार तथा भावी योजनाएं रखते समय अधिक पारदर्शी होना होगा ताकि उन्हें वित्त उपलब्ध कराने के संबंध में वे ऋणदाता का विश्वास प्राप्त कर सकें।

इ. भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए कदम

7. आर्थिक विकास में एमएसएमई की महत्त्वपूर्ण भूमिका और रोजगार तथा जीडीपी में इसके व्यापक योगदान को पहचानते हुए और साथ ही इस बात को समझते हुए कि एमएसएमई की संवृद्धि और विकास के लिए वित्त की उपलब्धता बहुत जरूरी है, सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक वित्त तक इनकी पहुंच बढ़ाने के प्रयासों की सहायता कर रहे हैं। इस क्षेत्र का वित्तीय पहुंच की दृष्टि से काफी दूर रह जाना देखते हुए (93 प्रतिशत), एसएमई वित्त सहित सर्वव्यापी वित्तीय पहुंच हेतु प्रयास अब नीतिगत विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता बन गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिक वित्तीय समावेशन के लिए पिछले कुछ वर्षों में अनेक उपायों को व्यापक किया है और मात्रात्मक पहुंच के लक्ष्यों का समर्थन किया है। मैं इनमें से कुछ की संक्षिप्त चर्चा करना चाहूंगा।

8. देश के सभी भागों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में एकसमान प्रगति सुनिश्चित करने के लक्ष्य से बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले बैंक रहित प्रत्येक गांव में बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए योजना तैयार करें। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि यह जरूरी नहीं है कि ऐसी बैंकिंग सेवाएं पक्की शाखाओं के माध्यम से ही दी जाएं, बल्कि इन्हें बिजनेस कारेसपांडेंट सहित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित माडलों में से किसी भी रूप के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य स्तरीय बैंकर समितियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मार्च 2012 के अंत की स्थिति के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों में 74,199 गांवों में बैंकिंग आउटलेट खोले गए थे। इनमें 2,493 शाखाएं, 69,374 बिजनेस कारेसपांडेंट और 2,332 अन्य माडल अर्थात ग्रामीण एटीएम, मोबाइल वैन आदि शामिल है। 2000 से कम जनसंख्या वाले गांवों को भी कवर करने की प्रक्रिया जारी है।

9. इस क्षेत्र को अधिक ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार द्वारा एमएसएमई पर गठित प्रधान मंत्री कार्य दल की सिफारिशों के अनुसरण में, बैंकों को सूचित किया गया था कि वे एमएसई में 20 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष ऋण वृद्धि सुनिश्चित करें;

जिसमें 60 प्रतिशत अग्रिम सूक्ष्म उद्यमों को मिलना चाहिए जिसे निम्न प्रकार से पूरा करना है - 2010-11 में 50 प्रतिशत, 2011-12 में 55 प्रतिशत और 2012-13 में 60 प्रतिशत। साथ ही, सूक्ष्म उद्यमों के खातों की संख्या में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि भी होनी चाहिए। रिज़र्व बैंक इस संबंध में बैंकों द्वारा की गई प्रगति की तिमाही समीक्षा करता है। इस संबंध में पिछड़ गए बैंकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करके उन्हें आने वाली बाधाओं का पता लगाया जाता है तथा इस क्षेत्र को ऋण देने के लिए प्रणाली को मजबूत करने हेतु रणनीति बनाने की आवश्यकता उन्हें समझायी जाती है।

10. चूंकि एमएसई उधारकर्ताओं और विशेष रूप से नए उद्यमियों के पास बैंक वित्त प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक जमानत नहीं होती, रिज़र्व बैंक द्वारा सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) की ऋण गारंटी योजना (सीजीएस) के लिए गठित कार्य दल की सिफारिशों के संदर्भ में हमने 6 मई 2010 को बैंकों के लिए यह अनिवार्य किया कि वे एमएसई क्षेत्र को ₹10 लाख तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करें और बैंक इस संदर्भ में सीजीएस के तहत संपार्श्विक मुक्त ऋण का कवर ले सकते हैं। उक्त सीमा पहले ₹5 लाख थी।

11. 4 मई 2009 को सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने निदेशक बोर्ड के विधिवत अनुमोदन से समीक्षा करके अनर्जक ऋणों की वसूली के लिए गैर विवेकाधीन एक बारगी निपटान योजना और पुनर्निधारण/पुनर्वास नीति तथा एमएसई ऋण नीति की बनाएं। दिसंबर 2009 में बैंकों को सूचित किया गया कि वे एमएसई क्षेत्र के लिए अनर्जक ऋणों की वसूली के लिए गैर विवेकाधीन एक बारगी निपटान योजना को अपनी वेबसाइट पर डालकर और प्रचार के अन्य माध्यमों से इसका व्यापक प्रचार करें।

12. विभिन्न औद्योगिक संघों/चेंबरों से इस आशय की शिकायतें प्राप्त होने पर कि बैंक उनके ऋण आवेदनों की प्राप्ति सूचना नहीं देते, हमने 4 जनवरी 2012 को बैंकों के लिए यह अनिवार्य किया कि एमएसएमई उधारकर्ता द्वारा उन्हें ऑनलाइन या दूसरे प्रकार से प्रस्तुत किए गए ऋण आवेदनों की प्राप्ति सूचना दें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र और प्राप्ति सूचना पर रनिंग अनुक्रमांक दिया जाना चाहिए।

13. एमएसई उधारकर्ताओं में वित्तीय साक्षरता, लेखांकन और वित्त सहित परिचालन कुशलता, कारोबारी योजना आदि की कमी के कारण उनके सामने आने वाली गंभीर चुनौतियों को देखते हुए, हमने 1 अगस्त 2012 को बैंकों को सूचित किया कि वे अपने एमएसई ग्राहकों को वित्तीय साक्षरता तथा परामर्शी सहायता देकर उनके कार्यों में सक्रिय सहयोग दें। इसके लिए बैंक, अपनी सुविधानुसार, अपनी शाखाओं में विशेष कक्ष बनाएं या उनके द्वारा गठित वित्तीय साक्षरता केंद्रों में इस कार्य को समाहित करें। हमने यह भी कहा है कि इस क्षेत्र की विशेष आवश्यकताएं पूरी करने के लिए बैंक स्टाफ को कस्टमाइज्ड प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाए।

14. ऋण के वैकल्पिक स्रोत, एमएसएमई के लिए डेडिकेटेड एक्सचेंज, मार्केटिंग, प्रौद्योगिकी उन्नयन और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में प्रधान मंत्री कार्य दल ने इन मामलों की जांच करके बाधाएं दूर करने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों को समयबद्ध रूप से लागू करने के कार्य की निगरानी भारत सरकार द्वारा की जा रही है।

घ. और क्या करने की आवश्यकता है?

i. कारोबारी प्रक्रियाओं और रणनीति पर पुन: ध्यान देने तथा नवोन्मेष जरूरी है

15. वैश्विकरण से नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं और एसएमई उद्यमियों को चाहिए कि वे इनका लाभ लें। इसके लिए,एमएसएमई उद्यमियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी कारोबारी रणनीतियों की समीक्षा करें और साथ ही नवोन्मेष भी करें। इसे सफलतापूर्वक करने के लिए चार पहलुओं को ध्यान में रखना जरूरी है। पहला, एमएसएमई उद्यमियों के लिए यह आवश्यक है कि वे नए कारोबारों की पहचान तथा उनका विकास करने के लिए नवोन्मेष का प्रयोग करें। पीटर एफ.ड्रकर द्वारा सही तरीके से कहे अनुसार, नवोन्मेष के लिए यह जरूरी है कि हम कारोबार में पहले ही हो चुके परिवर्तनों - जनसांख्यिकी में, मूल्य में, प्रौद्योगिकी में- की ढंग से पहचान करें और फिर उन्हें अवसर के रूप में देखें। उद्यमियों को इस तथ्य का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि नई खोजें या उत्पाद/सेवाएं हमेशा उस बाजार में सफल नहीं होते जिनके लिए वे मूलत: तैयार किए गए थे, बल्कि पूर्णत: भिन्न बाजार में सफल हो सकते हैं। उन्हें चाहिए कि वे मूल बाजार पर ही फोकस करने के बजाए उत्पाद के लिए नए अवसरों की खोज करें। दूसरा, कारोबार में नकदी के प्रवाह पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उद्यमियों का मानना होता है कि किसी

भी कारोबार में लाभ ही महत्त्वपूर्ण होता है। किंतु लाभ द्वितीयक होता है, मुख्य तो नकदी का प्रवाह होता है। तेजी से बढ़ने वाला कारोबार नकदी को खा जाता है। इसके लिए यह जरूरी है कि नियमित निवेश किया जाए। तीसरा, जब कोई कारोबार बढ़ता है तब प्रबंधन समूह बनाया जाना चाहिए। नए उद्यमियों के लिए ऐसा करना कठिन होता है। अत: यह जरूरी है कि अपने साथ पहले से ही कार्यरत लोगों की आंतरिक क्षमता को पहचाना जाए ताकि नए अवसरों से लाभ लिया जा सके। यह योजना काफी समय-पूर्व ही लागू की जानी चाहिए। अंत में, जब कारोबार सफल हो जाए तब उद्यमी को यह देखना चाहिए कि इस स्तर पर कारोबार के लिए किस बात की जरूरत है और क्या इस संबंध में वहां ध्यान दिया जा रहा है। सफल उद्यमी बनने तक काफी अनुभव और ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अत: यह आवश्यक है कि इसके आधार पर भविष्य में एक ही प्रकार की गलतियां पुन: न हो पाएं।

ii. इक्विटी पूंजी तक पहुंच

16. इक्विटी पूंजी तक पहुंच न होना एक वास्तविक समस्या है। इस समय, इस क्षेत्र में इक्विटी पूंजी का प्रवाह नगण्य है। इक्विटी पूंजी का मजबूत आधार होना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे नए उद्यमों की हानि सहने की क्षमता बढ़ती है। इक्विटी पूंजी के अभाव से ज्ञान-आधारित उद्योगों, विशेष रूप से वहां जहां पहली पीढ़ी के उद्यमियों द्वारा आवश्यक दक्षता और ज्ञान के आधार पर उद्यम का संवर्धन किया जाना है, के विकास के सामने गंभीर चुनौतियां आ सकती हैं। अधिकतर एमएसएमई, विशेष रूप से ज्ञान-आधारित उद्यम, को प्रारंभ में नकारात्मक नकदी प्रवाह और संपार्श्विक की कमी का सामना करना पड़ता है जिससे ऋण पूंजी या बैंक वित्त तक पहुंचना उनके लिए कठिन होता है। उच्च वृद्धि संभावना और एसएमई शुरू करने के लिए उद्यम/जोखिम पूंजी अनेक बार उपयुक्त वित्तीयन साधन होती है। संस्थाएं विस्तार, नए बाजारों में प्रवेश और तेज विकास के लिए विशेष रूप से उद्यम पूंजी को वरीयता देते हैं। इस प्रकार, एंजल फंड/जोखिम पूंजी जैसे पूंजी के वैकल्पिक स्रोतों तक पहुंच के लिए एमएसएमई (विशेष रूप से नवोन्मेष और नई प्रौद्योगिकियों में शामिल) की क्षमता में व्यापक विस्तार किए जाने की आवश्यकता है ताकि उद्यमशीलता प्रोत्साहित और विकसित हो सके। इसके लिए, एमएसएमई द्वारा ऐसी निधि के उपयोग के मार्ग की राजकोषीय/विनियामक रुकावटों को हटाने पर प्राथमिक रूप से ध्यान दिया जाना आवश्यक है। एमएसएमई के लिए डेडिकेटेड एक्सचेंज की मांग की गई है। वित्त मंत्री ने 2012-13 के केंद्रीय बजट में सिडबी में ₹50 बिलियन के इंडिया अपॉरच्यूनिटी वेंचर फंड की स्थापना की घोषणा की है ताकि एमएसएमई क्षेत्र को अधिक इक्विटी उपलब्ध हो सके। एमएसएमई पर प्रधान मंत्री कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर मुंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार ने एसएमई के शेयरों की लिस्टिंग और व्यापार के लिए अलग डेडिकेटेड एक्सचेंज/प्लेटफार्म स्थापित किए हैं ताकि वे इक्विटी पूंजी आसानी से जुटा सकें।

iii. फैक्टरिंग सेवाएं

17. ग्राहकों से समय पर भुगतान मिलने से एसएमई को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताएं घटाने में सहायता मिलेगी जिससे ब्याज की लागत घटेगी, लाभप्रदता में सुधार होगा और भारत के एसएमई क्षेत्र की दीर्घकालिक सुदृढ़ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। देयताओं के निपटान में विलंब से एसएमई इकाइयों की निधियों और कारोबारी परिचालनों की अनुवर्तीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्रिसिल (CRISIL) द्वारा 5000 एसएमई के किए गए अध्ययन से पता चला है कि प्राप्य राशियों की अधिक मात्रा औद्योगिक क्षेत्र की पुरानी समस्या है जो कि एसएमई में कुछ और अधिक है। छोटे एसएमई उनकी कम मोलभाव शक्ति के चलते उनकी दुर्बल प्राप्य स्थिति के कारण अधिक अलाभकारी स्थिति में होते हैं। क्रिसिल अध्ययन के अनुमान के अनुसार यदि एसएमई को उनके विस्तृत कार्पोरेट ग्राहकों से समय पर भुगताम मिले तो उनके लाभ में कम-से-कम 15 प्रतिशत वृद्धि हो सकती है।

18. अत: यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि छोटी संस्थाएं उन्हें प्राप्य राशियों की जमानत पर चलनिधि जुटा सकें। इस समस्या का समाधान संस्थागत तौर पर फैक्टरिंग के माध्यम से किया जा सकता है जो कि एसएमई को उन्हें प्राप्य राशियों की जमानत पर चलनिधि उपलब्ध कराती है और यह कार्यशील पूंजी का वैकल्पिक स्रोत हो सकता है। विश्व भर में फैक्टरिंग एसएमई और यहां तक की बड़े संगठनों के लिए भी कार्यशील पूंजी तक पहुंच का पसंदीदा मार्ग है। भारत में कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने फैक्टरिंग सेवाएं पहले ही शुरू कर दी हैं और मैं अन्य बैंकों को भी आह्वान करूंगा कि वे भी ऐसी सेवाएं, विशेष रूप से एमएसएमई के लिए, उपलब्ध कराएं। फैक्टरिंग सेवाओं के लिए विधिक ढांचा उपलब्ध कराने के लिए संसद ने हाल ही में फैक्टरिंग विनियमन विधेयक पारित किया

है जो कि सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के भुगतान और चलनिधि संबंधी समस्याओं पर ध्यान देगा।

iv. प्रौद्योगिकी तक पहुंच

19. प्रतिस्पर्धा, वैश्वीकरण और साथ ही वैश्विक मंदी के कारण अनिश्चितता में वृद्धि होने के कारण एसएमई के लिए प्रौद्योगिकी संपन्न बनना आवश्यक हो गया है। एसएमई को अपनी उत्पादन प्रक्रिया और साथ ही मार्केटिंग और प्रबंधकीय कार्यों में अद्यतन प्रौद्योगिकी को लगातार शामिल करना होगा ताकि वे लागत घटा सकें, कौशल और निरंतरता प्राप्त कर सकें। एक अन्य चुनौती का भी सामना करना है। चीन से कम लागत के उत्पादों की भरमार होने से भी भारतीय विनिर्माताओं के लिए मात्र मूल्य संबंधी प्रतिस्पर्धा भी कठिन हो गई है। अन्य देशों की तुलना में चीन को कम विनिर्माण तथा श्रम लागत के कारण विश्व का महत्त्वपूर्ण विनिर्माता माना जाता है। एसएमई के लिए आज जिस बात की जरूरत है वह है नई प्रौद्योगिकी का ज्ञान और उस तक पहुंच। वस्तुत: नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी एमएसएमई के पास ऐसे दो साधन हैं जिन्हें पूर्णत: पूंजीकृत करने की आवश्यकता है ताकि वे बृहताकार संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा कर सकें। एसएमई को अपनी उत्पादन प्रक्रिया और साथ ही मार्केटिंग और प्रबंधकीय कार्यों में अद्यतन प्रौद्योगिकी को लगातार शामिल करने के प्रयास करने होंगे ताकि वे लागत घटा सकें, कौशल और निरंतरता प्राप्त कर सकें। मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि प्रौद्योगिकी को मात्र नाम के लिए नहीं बल्कि उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने के लिए और उत्पादकता तथा कौशल बढ़ाने के लिए शामिल किया जाना चाहिए।

20. किंतु प्रौद्योगिकी मुफ्त में नहीं मिलती। सूचना प्रौद्योगिकी की स्थापना और उसके रखरखाव की उच्च लागत और उन्हें परिचालित करने के लिए कुशल कार्यबल की भर्ती करना अनेक छोटी संस्थाओं के लिए चिंता की बात हो सकती है। क्लाउड कंप्यूटिंग, जिससे संसाधनों की शेयरिंग संभव हो जाती है, जैसी नई कल्पनाओं की सहायता से छोटी संस्थाएं भी उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ ले सकती हैं। ऐसी व्यवस्थाओं से एमएसएमई के महत्त्वपूर्ण संसाधन मुक्त हो जाते हैं जिन्हें मुख्य कार्यों पर केंद्रित किया जा सकता है। अत; एमएसएमई को अद्यतन प्रौद्योगिकी विकासों की जानकारी रखनी चाहिए। एमएसएमई पर प्रधान मंत्री कार्य दल ने ऐसी अनेक सिफारिशें की हैं जिनका एमएसएमई के कार्यों जैसे कि ऋण, मार्केटिंग, श्रम, बाहर निकलने की नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर/प्रौद्योगिकी/कौशल विकास और कराधान पर प्रभाव पड़ेगा।

v. आर्थिक मंदी का सामना करना और एमएसएमई इकाइयों की दुर्बलता रोकना

21. इस समय विश्व आर्थिक संकट का सामना कर रहा है जिसके कारण विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक गतिविधियां मंद हो गई हैं। वस्तुत: हम सभी के लिए यह चुनौतीभरा समय है। मंदी का सामना करने के लिए मैं एमएसएमई को आह्वान करूंगा कि वे भावी योजनाएं बनाएं और बैंकों के साथ व्यवहार करते समय पारदर्शी रहें। वे अपनी समस्याओं के संबंध में बैंकों के साथ पर्याप्त समय पूर्व संपर्क करें और वे बैंकों से क्या चाहते हैं इसका निर्धारण कर लें। दृष्टिकोण में पारदर्शिता महत्त्वपूर्ण है। कई बार उद्यमी अपने स्वयं के लेनदेनों को कारोबार के साथ मिला लेते हैं। उन्हें चाहिए कि वे इन दो बातों को अलग करें और कारोबार की आवश्यकताओं के संबंध में पर्याप्त समय पूर्व ही योजना बनाएं। इस संदर्भ में, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि दुर्बलता को समय पर पहचान लेना बहुत महत्त्वपूर्ण है ताकि सुधार की संभावना वाली दुर्बल इकाइयों के पुनरुज्जीवन की संभावना बढ़ सके। किसी इकाई की दुर्बलता को पहचानने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दुर्बल एसएमई के पुनर्वास पर गठित कार्य दल की सिफारिशों के अनुरूप दुर्बलता की वर्तमान परिभाषा में संशोधन का प्रस्ताव भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचाराधीन है।

vi. कुशल मानव शक्ति और प्रबंधकीय प्रतिभा

22. एसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि के लिए मानव संसाधन विकास का मामला अति महत्त्वपूर्ण है। व्यापार उदारीकरण और वैश्वीकरण से आने वाली प्रतिस्पर्धा के दबावों का सामना करने की एसएमई की योग्यता आंतरिक तौर पर उपलब्ध कौशल के स्तर पर निर्भर करेगी। वस्तुत: यह बहुत खेदजनक है कि एक बिलियन से अधिक लोगों के बावजूद हमारे यहां कुशल श्रम की कमी है। भारत को अपनी इस अच्छी जनसांख्यिकीय स्थिति (यहां बड़ी संख्या में युवा कार्यबल उपलब्ध है) का लाभ लेना चाहिए। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें कौशल विकास के लिए वर्षों से अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चला रहे हैं। ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थाएं भी इस दिशा में कार्य कर रही हैं। किंतु एमएसएमई क्षेत्र की बढ़ती मांग और हमारे देश में उपलब्ध व्यापक 'जनसांख्यिकीय

पूंजी' के कारण कौशल और उद्यमशीलता विकास के लिए अब भी काफी प्रयास करने की आवश्यकता है।सरकारी संस्थाओं द्वारा उठाए गए कदमों के अलावा, उद्योगों को भी एमएसएमई में रोजगार के लिए उपलब्ध उपयुक्त कुशल कार्यबल के निर्माण में योगदान करना चाहिए। औद्योगिक संघों द्वारा कर्मचारियों के कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए और उन्हें नई प्रौद्योगिकी के अनुरूप कौशल से परिचित किया जाना चाहिए। पाठशाला के पाठ्यक्रमों में उद्यमशीलता प्रशिक्षण शामिल किया जाना चाहिए। अनेक अध्ययनों में कहा गया है कि महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता कौशल की कमी बड़ी समस्या है जिसके कारण यह जरूरी हो जाता है कि उद्यमशीलता प्रशिक्षण को माध्यमिक पाठशाला के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। कौशल और उद्यमशीलता विकास के लिए व्यापक निवेश करने की आवश्यकता है।

vii) कंपनी अभिशासन

23. छोटी संस्थाओं में दुर्बल कंपनी अभिशासन से इनके लिए महत्त्वपूर्ण निविष्टियों की उपलब्धता भी कम हो जाती है जिससे ये संस्थाएं अत्यधिक संवेदनशील हो गई हैं। एसएमई में अच्छी अभिशासन प्रथाओं से उनका अच्छा विकास होगा या वे अधिक निवेशकों को आकर्षित के पाएंगी। अच्छी कंपनी अभिशासन प्रथाओं के अभाव के कारण उनके लिए बैंकों या निवेशकों से वित्त प्राप्त करने में कठनाई होती है। एसएमई द्वारा अच्छी अभिशासन प्रथाओं को अपनाना इस क्षेत्र को उच्च विकास पथ पर जाने के लिए अनिवार्य है। कंपनी अभिशासन की कमी का कारण कंपनी अभिशासन प्रथाओं और कंपनी निष्पादन पर उसके प्रभाव की जानकारी का अभाव है। एसएमई को अच्छी कंपनी अभिशासन प्रथाओं की शिक्षा देने की आवश्यकता है जिसमें औद्योगिक संघ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

viii) एमएसएमई संघों की भूमिका

24. इस क्षेत्र की ओर ऋण वृद्धि करने में एमएसएमई संघों और चेंबर ऑफ कॉमर्स की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है। सूचना की भिन्नता और आंकड़ों की पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता का अभाव एमएसएमई संबंधी कार्य करने वाले संगठनों के लिए चिंता का विषय रहा है। अत: इन संगठनों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने सदस्यों के लिए सक्रिय रूप से कार्यशालाएं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें और उन्हें नकदी प्रवाह चक्रों, विभिन्न वित्तीय उत्पादों, लेखांकन प्रथाओं आदि से अवगत कराएं। इस संबंध में, मैं एमएसएमई संघों और चेंबर ऑफ कॉमर्स से कहना चाहूंगा कि वे एमएसएमई के लाभार्थ बैंकों, एनआईबीएम या बैंकिंग और वित्त, आधारभूत लेखांकन और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की किसी भी प्रशिक्षण संस्था का सहयोग लें।

ix) अलग मुख्य संगठन

25. यह महसूस किया गया कि असंगठित क्षेत्र सहित संपूर्ण एमएसएमई क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाला कोई केंद्रीय मुख्य संगठन हो तो इस क्षेत्र पर नीति निर्माताओं का उचित ध्यान आकर्षित करने में सहायता मिलेगी। एमएसएमई मंत्रालय, भारिबैं और सिडबी द्वारा देश में एमएसएमई के उन्नयन, वित्तीयन और विकास के लिए अनेक प्रयास किए जाने के बावजूद एक अलग मुख्य संगठन की आवश्यकता है जो कि एमएसएमई क्षेत्र की विकास संभावनाओं की पूर्ण लाभ प्राप्ति के लिए एमएसएमई क्षेत्र के समन्वित विकास पर ध्यान रखेगा। यह मुख्य संगठन न सिर्फ निधि की उपलब्धता पर बल्कि प्रौद्योगिकीय सहायता, डिजाइन आउटपुट, कच्चे माल की आपूर्ति , मार्केटिंग सहायता आदि सहित चहुमुखी सहायता उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

समापन

26. एमएसएमई क्षेत्र देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है अत: इसे सावधानीपूर्वक पोषित करने और इसकी सहायता करने की आवश्यकता है। देश में समावेशक वृद्धि और स्थानीय मांग तथा उपभोग को बढ़ाने के लिए एमएसएमई सर्वोत्तम साधन है। रोजगार उत्पत्ति के कार्यों के सहायक होने के अलावा वे बहु राष्ट्रीय कंपनियों और भावी बड़ी कंपनियों के लिए पोषक के रूप में भी कार्य करते हैं। अत: मैं सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को आह्वान करता हूं कि वे इस क्षेत्र की ओर ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए हमारे दिशानिर्देशों का पूर्णत: पालन करें। मैं एसएमई से भी कहना चाहूंगा कि वे अपनी ओर से और विशेष रूप से कठिनाई के समय पारदर्शिता अपनाएं ताकि वे उधारदाताओं का विश्वास प्राप्त कर सकें। एसएमई के लिए यह आवश्यक है कि वे उत्पादों और प्रक्रियाओं के संबंध में निरंतर नवोन्मेष करें और अपना दृष्टिकोण व्यापक रखें ताकि वे अपने उत्पादों / सेवाओं के लिए नए अवसरों को देख सकें। एमएसएमई संघों और चेंबर ऑफ कॉमर्स को भी अच्छी प्रथाओं के प्रति जागरुकता बढ़ाकर एक मजबूत एमएसएमई क्षेत्र की निर्माण के कठिन कार्य में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मुझे विश्वास है कि सभी भागीदारों के गहन प्रयासों से एमएसएमई क्षेत्र वैश्विक रूप से

प्रतिस्पर्धी बनेगा और भारत के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देगा।

27. मैं मुंबई चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को इस चर्चा के आयोजन के लिए बधाई देता हूं और मुझे आज यहां उपस्थित रहने का अवसर देने के लिए मैं एक बार फिर से चेंबर को धन्यवाद देता हूं।

धन्यवाद।

संदर्भ

1. जी20 सिओल सम्मेलन (अक्तूबर 2010), स्केलिंग अप एसएमई एक्सेस टू फाइनान्शियल सर्विसेस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड।

2. ग्लोबल पार्टनरशीप फॉर फाइनान्शियल इन्क्लूजन (जीपीएफआई) वेबसाइट, एसएमई वित्त पर उप-समूह, जी20।

3. अंतरराष्ट्रीय विकास की अमरीकी एजेंसी - दक्षिण अफ्रीकी बाजार के लिए एसएमई वित्तीय शिक्षा के लिए रणनीतिक विकल्प पर रिपोर्ट, अप्रैल 2009।

4. एमएसएमई पर प्रधान मंत्री कार्य दल की रिपोर्ट, जनवरी 2010 (अध्यक्ष: श्री टी.के.ए.नायर)।

5. रुग्ण एसएमई के पुनर्वास पर कार्य दल की रिपोर्ट (अध्यक्ष: डॉ.के.सी.चक्रवर्ती)।

6. एमएसई के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास की ऋण गारंटी योजना की समीक्षा पर कार्य दल की रिपोर्ट (अध्यक्ष: श्री वी.के.शर्मा)।

7. बोलोंगा सम्मेलन, इटली, 2000 में 'नवोन्मेष के माध्यम से एसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना' पर कार्यशाला के लिए ओईसिडी बॅकग्राऊंड दस्तावेज।

8. भारत में एसएमई की संभावनाएं और चुनौतियां पर भारत पी., नवीन राजेश, मोराज.ए.जे.प्रबंध संस्थान (एजेआईएम) मैंगलोर का पेपर।

9. भारत में एसएमई: वैश्वीकरण के दौर में विषय और संभावनाएं, केशव दास।

10. 'मैनेजिंग इन द नेक्स्ट सोसायटी', पीटर एफ.ड्रकर।